अपील/राज - 1251/राज 73/2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27.6.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....अवकाश 22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.8.22 को पेश हो।	
29.8.22	पत्रावली पेश। प्रकरण में विचारण न्यायालय का रिकार्ड अप्राप्त है। विचारण न्यायालय से विशेष वाहक के माध्यम से रिकार्ड तलब किया जावें। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 29.9.22 को पेश हों।	
29.9.22	पत्रावली पेश। अपीलांट/रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)	फैसला आदेश तामील हो चुका है

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * भू-प्रबन्ध सत्यमेव जयते